

05.7.22 पत्रावली आज वारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र

RTI: राजनाथ

पेश करने पर पेशी में ली गई। समस्त



Ident. BSHM
जेश कुमार

पक्षकारण द्वारा उपस्थित होकर राजनाथ
पेश करते हुए निवेदन किया गया कि

अनुसार

राजीनामा अनुसार भूमि का विभाजन

RTI:



राधेश्याम

जीनु

करते हुए वाद द्रिती किया जावे।

अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार

किया जाकर राजीनामा अनुसार वारी

RTI:



शारदा देवी
द. 2022

वादांत भूमि तहसील दूर जाना के लिए

फर्द अहकाम

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>11-12 KWM के फ-नं. 113/38 मु. नं. 29 के वि. नं. 1 ता 25 की 6.225 हैक्टार हृषि भूमि में से वादी के क्रि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 साबम, 04/0.168 7/0.169, 14/0.169, 17/0.169, 24/0.169 कुल 2-109 हैक्टार, सतिवादी सं. 1 म 5 के क्रि. नं. 1, 10, 11, 20, 21 साबम, 2/0.168 9/0.168, 12/0.169, 19/0.169, 22/0.169 कुल 2-108 हैक्टार, सतिवादी सं. 5 6 के क्रि. नं. 3, 8, 13, 18, 23 साबम, 2/0.085, 9/0.085, 12/0.084, 19/0.084, 22/0.084, 4/0.085, 7/0.084, 14/0.084, 17/0.084, 24/0.084 कुल 2-108 हैक्टार हृषि भूमि का खारेज हृषि हरेषि क्रिया. आकर उक्तानुसार भूमि का विभाजन क्रिया जाता है। इसी अनुसार चर्चा डिमी जारी हो। पतापत्ती वाद तरीक तकमील होकर हाखिल फूफ्त हो। यह आदेश आज दिनांक 05/7/22 को कुबे न्यायालय में निष्पाद्य आकर सुनाया गया।</p>	<p>6.20.2022 Jalant by ac J. J.</p>


 (अभिलाषा)
 उपखण्ड अधिकारी
 घडसागा